NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-04-2026

विषय सूची

2026 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की सीमाएँ

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)@2047 रोडमैप

विनिर्माण केंद्र: एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

प्राकृतिक एवं जैविक कृषि

इंडोनेशिया की नई जैव-ईंधन पहल

संक्षिप्त समाचार

UAE का OPEC और OPEC+ से बाहर

सैक्रिफ़ाइस रेशियो (Sacrifice Ratio)

सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)

भूभक्षण (Geophagy)

भारत 2025 में पाँचवाँ सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बना: SIPRI

2026 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक

संदर्भ

- किर्गिज़स्तान में आयोजित SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध एकीकृत SCO कार्रवाई का आह्वान किया और दोहरे मानदंडों के प्रति चेतावनी दी।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- **उत्पत्ति**: शंघाई फाइव का गठन 1996 में चार पूर्व सोवियत गणराज्यों और चीन के बीच सीमा निर्धारण एवं निरस्त्रीकरण वार्ताओं से हुआ।
  - **सदस्य**: कज़ाख़स्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
  - **परिवर्तन**: 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने पर शंघाई फाइव का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रखा गया।
- **उद्देश्य**: मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को रोकने के प्रयासों हेतु क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना।
- **सदस्य (10)**: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस तथा मध्य एशिया के चार देश — कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
  - **भारत की भूमिका**: भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना और 2023 में घूर्णन अध्यक्षता संभाली।
  - **आर्थिक महत्व**: सदस्य देश वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% और विश्व की जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं।
- **पर्यवेक्षक**: अफ़ग़ानिस्तान और मंगोलिया।
- **भाषा**: SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।
- **संरचना**:
  - सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था — राज्यों के प्रमुखों की परिषद , जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है।
  - दो स्थायी निकाय — बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।

भारत के लिए महत्व

- **क्षेत्रीय सुरक्षा**: SCO भारत को सुरक्षा चिंताओं जैसे आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु मंच प्रदान करता है।
  - **RATS सहयोग**: भारत खुफ़िया जानकारी साझा करने और आतंकवाद-रोधी प्रयासों में सहयोग करता है।
- **चीन-पाकिस्तान संतुलन**: दोनों सदस्य होने के बावजूद, यह मंच भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और विरोधी कथाओं को रोकने का अवसर देता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा**: मध्य एशिया तेल, गैस और यूरेनियम से समृद्ध है। SCO सदस्यता भारत को ऊर्जा संबंध सुदृढ़ करने में सहायता करती है।
- **आर्थिक सहयोग**: संगठन सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है, विशेषकर मध्य एशियाई देशों के साथ।
- **मध्य एशिया पर ध्यान**: भारत के लिए SCO विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह क्षेत्रीय जुड़ाव को बल देता है, जहाँ भारत अपनी पहुँच बढ़ाना चाहता है।

चुनौतियाँ

- **चीन-पाकिस्तान धुरी**: SCO में चीन-पाकिस्तान की सुदृढ़ साझेदारी भारत की रणनीतिक स्थिति को जटिल बनाती है।
- **भूराजनीतिक तनाव**: चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद एवं तनाव SCO चर्चाओं में भी परिलक्षित होते हैं।
- **सुरक्षा पर अधिक ध्यान**: संगठन का प्राथमिक ध्यान सुरक्षा पर होता है, जिससे आर्थिक और विकासात्मक सहयोग पीछे छूट जाता है।
- **संस्थागत सीमाएँ**: निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति धीमी रहती है।

निष्कर्ष

- SCO भारत के लिए एक रणनीतिक मंच है, जिसके माध्यम से वह यूरेशियाई शक्तियों से जुड़ता है, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, आर्थिक एवं ऊर्जा हितों को सुरक्षित करता है और आतंकवाद-रोधी सहयोग को सुदृढ़ करता है।

- चुनौतियों के बावजूद, भारत SCO का उपयोग अपने "क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)" दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने एवं पश्चिमी गठबंधनों के संतुलन हेतु करता है।

Source: AIR

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की सीमाएँ"

संदर्भ

- हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में हालिया तनाव, जिसमें ईरान द्वारा जहाज़ों को हिरासत में लेना और अमेरिका द्वारा खुले समुद्र में जहाज़ों को रोकना शामिल है, ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अंतर्गत ऐसी कार्रवाइयों की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

पृष्ठभूमि

- हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण संकरे मार्गों में से एक है, जिसके माध्यम से विश्व की लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल आपूर्ति गुजरती है।
- इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक नौवहन, ऊर्जा बाज़ार और भू-राजनीतिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालता है।

समुद्री क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा

- वैश्विक समुद्री व्यवस्था मुख्यतः **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)** द्वारा संचालित है, जो 1994 में लागू हुई। यह समुद्र को साझा वैश्विक संपदा मानती है और नौवहन एवं अधिकार क्षेत्र के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करती है।
  - **खुले समुद्र** : ये क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं और सभी राज्यों को नौवहन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जहाज़ों को रोकना केवल सीमित परिस्थितियों में वैध है, जैसे — समुद्री डकैती, बिना ध्वज वाले जहाज़, हॉट पर्स्यूट, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति।
  - **प्रादेशिक जल** : तटीय राज्यों को संप्रभुता प्राप्त होती है, लेकिन विदेशी जहाज़ों को "निर्दोष मार्ग" का अधिकार होता है, बशर्ते वे राज्य की सुरक्षा को खतरा न पहुँचाएँ।
  - **अंतर्राष्ट्रीय नौवहन हेतु प्रयुक्त जलडमरूमध्य**: ऐसे जलडमरूमध्य "ट्रांज़िट पैसेज" सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो जहाज़ों और विमानों की सतत एवं अवरोध-रहित आवाजाही सुनिश्चित करता है।

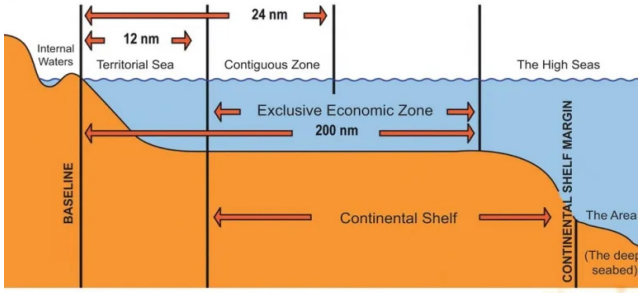

क्या ईरान को जलडमरूमध्य को नियंत्रित करने का अधिकार है?

- जलडमरूमध्य के सबसे संकरे हिस्से में ईरान और ओमान के प्रादेशिक जल आपस में मिलते हैं, जिससे कोई स्वतंत्र खुले समुद्र का मार्ग नहीं बचता। अतः UNCLOS के अनुसार यह क्षेत्र "ट्रांज़िट पैसेज" के अंतर्गत आता है।
- इसका अर्थ है कि ईरान कुछ नौवहन संबंधी पहलुओं जैसे निर्धारित शिपिंग लेन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह व्यापारी जहाज़ों के मार्ग को रोक या निलंबित नहीं कर सकता।
- भू-राजनीतिक कारणों से टोल लगाना या मार्ग अवरुद्ध करना स्वतंत्र नौवहन के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
- हालाँकि, जहाज़ों को कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है — सतत मार्ग, यातायात पृथक्करण योजनाओं का अनुपालन, और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन न करना।

अमेरिका की कार्रवाइयों की वैधता

- अमेरिका ने ईरान-सम्बंधित जहाज़ों को रोकने को प्रतिबंध लागू करने और अवैध व्यापार रोकने का हिस्सा बताया है। लेकिन ये प्रतिबंध घरेलू कानून पर आधारित हैं तथा संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के बिना सार्वभौमिक वैधता नहीं रखते।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खुले समुद्र में रोकथाम केवल विशेष परिस्थितियों में वैध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति या ध्वज राज्य की सहमति के अभाव में ऐसी कार्रवाइयाँ वैधता पर प्रश्न उठाती हैं और एकतरफा प्रवर्तन मानी जा सकती हैं।

प्रमुख मुद्दे

- **भू-राजनीति बनाम कानूनी मानदंड**: ईरान और अमेरिका दोनों की कार्रवाइयाँ स्थापित समुद्री नियमों को चुनौती देती हैं।
- **वैश्विक संपदा का हथियारकरण**: सामरिक जलमार्गों का उपयोग संघर्षों में दबाव बनाने के साधन के रूप में बढ़ रहा है।
- **प्रवर्तन में अस्पष्टता**: UNCLOS प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सीमित तंत्र मौजूद हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से गहराई से जुड़ी है, जिससे यह व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
  - भारत अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति आयात करता है, जिसमें से लगभग 40–50% हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है।
  - भारत की एलएनजी आपूर्ति (विशेषकर क़तर से) भी इसी मार्ग से आती है।
  - भारत उर्वरक और उनके कच्चे पदार्थ (जैसे अमोनिया और यूरिया) के आयात पर भी निर्भर है, जो इसी मार्ग से गुजरते हैं।
  - भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी समुद्री कार्यबलों में से एक है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से भारतीय जहाज़ों और नाविकों को जोखिम हो सकता है, नौवहन संचालन बाधित हो सकते हैं तथा बीमा व मालभाड़ा लागत बढ़ सकती है।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** संवाद को सुगम बनाने और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- कूटनीतिक सहभागिता, UNCLOS सिद्धांतों का पालन और बहुपक्षीय सहयोग आगे के तनाव को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

Source: TH

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)@2047 रोडमैप

समाचार में

- नीति आयोग ने **डीपीआई@2047 फॉर विकसित भारत** लॉन्च किया है, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के आगामी चरण का रोडमैप है। इसका उद्देश्य समावेशी और उत्पादकता-आधारित विकास को बढ़ावा देना है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- **परिभाषा**: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना उन आधारभूत डिजिटल प्रणालियों को संदर्भित करती है जो सुलभ, सुरक्षित और परस्पर-संगत होती हैं तथा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करती हैं।
- **भारत में शुरुआत**: भारत की डीपीआई यात्रा "जैम त्रयी" — जन धन बैंक खाते, आधार पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी — से शुरू हुई, जिसने नागरिकों को सीधे सरकारी प्रणालियों से जोड़ा।
  - इससे कल्याणकारी लाभों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण संभव हुआ, मध्यस्थों, विलंब और रिसाव को कम किया गया और भारत के व्यापक डिजिटल परिवर्तन की नींव रखी गई।

डीपीआई का महत्व

- **शासन दक्षता**: डीपीआई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सब्सिडी वितरण और ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म सक्षम करता है, जिससे भ्रष्टाचार और रिसाव कम होते हैं।
- **वित्तीय समावेशन**: यूपीआई ने भुगतान प्रणाली को बदल दिया है, जो अब 8 देशों में संचालित है और सीमा-पार लेनदेन को समर्थन देता है।
- **आर्थिक विकास**: भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जहाँ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दैनिक आर्थिक और सामाजिक जीवन में समाहित हैं।
- **वैश्विक नेतृत्व**: इंडिया स्टैक ग्लोबल और 24 देशों के साथ डीपीआई सहयोग समझौते भारत की भूमिका को विश्वसनीय डिजिटल मार्गों के निर्माण में प्रदर्शित करते हैं।

प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और समाधान

- **आधार** – बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल पहचान प्लेटफ़ॉर्म, जो निवासियों की विशिष्ट पहचान और प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है, ताकि सेवाओं का कुशल वितरण हो सके।
- **यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI)** – वास्तविक समय की डिजिटल भुगतान प्रणाली, जो व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यापारी लेनदेन को त्वरित, परस्पर-संगत एवं सुरक्षित बनाती है।
  - यूपीआई अब 8 देशों में सक्रिय है, जिससे सीमा-पार भुगतान, प्रेषण और वित्तीय समावेशन में सुधार हुआ है तथा वैश्विक स्तर पर भारत की फिनटेक प्रभावशीलता मज़बूत हुई है।
- **कोविन (CoWIN)** – टीकाकरण सेवाओं के पूर्ण प्रबंधन हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जिसमें पंजीकरण, समय निर्धारण और प्रमाणन शामिल है।
- **एपीआई सेतु** – एक प्लेटफ़ॉर्म जो एपीआई के माध्यम से सरकारी डेटा और सेवाओं को सुरक्षित एवं मानकीकृत रूप से साझा करने में सक्षम बनाता है।
- **डिजीलॉकर** – डिजिटल दस्तावेज़ भंडार, जो नागरिकों को प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने, पहुँचने और साझा करने की सुविधा देता है।
- **आरोग्य सेतु** – डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग, जो जोखिम आकलन, स्वास्थ्य परामर्श और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)** – सरकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी एवं कुशल खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।
- **उमंग (UMANG)** – एकीकृत मोबाइल और वेब प्लेटफ़ॉर्म, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की से पहुँच प्रदान करता है।
- **दीक्षा (DIKSHA)** – राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों को ई-सामग्री, प्रशिक्षण और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराता है।
- **ई-संजीवनी (e-Sanjeevani)** – टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म, जो विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरस्थ डॉक्टर-से-रोगी परामर्श को सक्षम बनाता है।
- **ई-हॉस्पिटल** – अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, जो ऑनलाइन पंजीकरण, अपॉइंटमेंट, निदान और बिलिंग सेवाएँ प्रदान करती है।
- **ई-ऑफिस** – पेपरलेस शासन हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जो सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल प्रबंधन और निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाता है।
- **ई-कोर्ट्स** – न्यायालय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और न्यायिक सेवाओं तक पहुँच सुधारने हेतु मिशन-मोड परियोजना।
- **पोषण ट्रैकर** – आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण सेवाओं की वास्तविक समय निगरानी हेतु मोबाइल आधारित अनुप्रयोग।
- **राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग प्लेटफ़ॉर्म (NCD)** – प्रमुख गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, निदान और प्रबंधन हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)** – कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार-संबंधी सेवाओं को एकीकृत करने वाला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
- **पब्लिक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS)** – सरकारी निधियों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पूर्ण निगरानी हेतु प्लेटफ़ॉर्म।
- **पीएम गतिशक्ति** – अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित क्रियान्वयन हेतु जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- **वैश्विक साझेदारियाँ:** भारत ने **24 देशों** के साथ समझौते किए हैं ताकि *इंडिया स्टैक* और *डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)* पर विशेषज्ञता साझा की जा सके। इसका ध्यान डिजिटल पहचान, भुगतान, डेटा प्रणालियों और सेवा वितरण पर है।
  - उद्देश्य निश्चित उत्पादों का निर्यात नहीं, बल्कि **डिज़ाइन सिद्धांतों पर सहयोग** है।
- **इंडिया स्टैक ग्लोबल:** यह एक समर्पित प्लेटफ़ॉर्म है जो भारत के डिजिटल उपकरणों और ढाँचों को साझेदार देशों के साथ साझा करता है। इन्हें डिजिटल प्रणालियों के लिए अनुकूलनीय "निर्माण खंड" (building blocks) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- **जी20 मान्यता:** भारत की 2023 जी20 अध्यक्षता के दौरान डीपीआई को एक प्रमुख विकास उपकरण के रूप में मान्यता मिली।
  - ज्ञान साझा करने हेतु एक **वैश्विक डीपीआई रिपॉज़िटरी** बनाई गई, जिसमें भारत ने सर्वाधिक समाधान योगदान किए।
- **मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफ़ॉर्म (MOSIP):** यह भारत में विकसित किया गया है और उन देशों के लिए एक विन्यास योग्य एवं ओपन-सोर्स ढाँचा प्रदान करता है जो **सार्वभौमिक डिजिटल पहचान प्रणाली** बनाना चाहते हैं।
  - 25 से अधिक देश इस प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने या अपने राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रमों में उपयोग करने की दिशा में कार्यरत हैं।
- **भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का आगामी चरण** यह रोडमैप **एकस्टेप फ़ाउंडेशन** और **डेलॉइट** के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें दो चरणों का विवरण है:
  - **डीपीआई 2.0 (2025–2035)**: कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार।
  - **डीपीआई 3.0 (2035–2047)**: व्यापक समृद्धि पर केंद्रित।
  - इसमें एआई, बेहतर डेटा प्रणालियों, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन का उपयोग कर आजीविका, उत्पादकता एवं बाज़ार तक पहुँच सुधारने पर बल दिया गया है।

चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन**: ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की असमान पहुँच।
- **डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा**: निगरानी और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की चिंताएँ।
- **परस्पर-संगतता मुद्दे**: राज्यों, क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में एकीकरण की आवश्यकता।
- **विश्वास की कमी**: नागरिकों और व्यवसायों में डिजिटल विश्वास निर्माण चुनौतीपूर्ण।
- **क्षमता सीमाएँ**: एआई, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों को विनियमित करने की सीमित क्षमता।

सुझाव

- सशक्त डेटा संरक्षण कानून लागू करना और साइबर सुरक्षा मानकों को बढ़ाना।
- डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ब्रॉडबैंड, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार।
- इंडिया स्टैक ग्लोबल का विस्तार कर भारत को डीपीआई हब के रूप में स्थापित करना।
- एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग में निवेश।
- डीपीआई को खुला, पारदर्शी और जवाबदेह बनाए रखना।

निष्कर्ष

- भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक सुरक्षित, परस्पर-संगत प्रणाली के रूप में विकसित हुई है, जो शासन, सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देती है।
- यह वैश्विक स्तर पर एक मॉडल के रूप में देखी जाती है। चुनौतियों के बावजूद, यह भारत की **विकसित भारत 2047** दृष्टि का केंद्रीय स्तंभ है, जो नवाचार और विनियमन के संतुलन पर आधारित है।

Source :PIB

विनिर्माण केंद्र: एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

संदर्भ

- भारत की विनिर्माण रणनीति ने हाल के वर्षों में एकीकृत विनिर्माण केंद्रों के विकास पर बढ़ता हुआ ध्यान केंद्रित किया है।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र

- विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 16–17% का योगदान देता है तथा 27 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है।

- जैसे-जैसे देश 2047 तक 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से 30–35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में रूपांतरण की दिशा में अग्रसर है, विनिर्माण क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका अपेक्षित है, जिसमें GDP में इसकी हिस्सेदारी कम से कम 25% तक बढ़ने की संभावना है।
- भारत 14 पहचाने गए उभरते क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा घटक, चिकित्सा उपकरण, बैटरियाँ तथा श्रम-प्रधान उद्योगों, जिनमें चमड़ा और वस्त्र उद्योग शामिल हैं, पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके।

- **भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ अवसंरचना बाधाएँ:** उच्च लॉजिस्टिक लागत, कमजोर बंदरगाह संपर्कता तथा विद्युत आपूर्ति में कमी के कारण उत्पादन स्तर कम रहता है।
- **अनुसंधान एवं नवाचार की कमी:** भारत GDP का 1% से भी कम अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करता है, जिससे उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण सीमित रहता है।
- **आयात पर निर्भरता:** सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक घटकों तथा रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता।
- **कौशल अंतराल:** कार्यबल के कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच महत्वपूर्ण असंगति।
- **कम उत्पादकता:** पुरानी मशीनरी, छोटे एवं बिखरे हुए उत्पादन इकाइयों तथा सीमित स्वचालन के कारण उत्पादकता निम्न बनी रहती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** वियतनाम, बांग्लादेश तथा चीन जैसे देश सस्ता उत्पादन और बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी बनते हैं।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** सतत एवं हरित विनिर्माण के लिए बढ़ता दबाव तथा उच्च अनुपालन लागत।

भारत में विनिर्माण केंद्रों का विकास

भारत की विनिर्माण रणनीति ने एकीकृत विनिर्माण केंद्रों के विकास पर निरंतर बल दिया है।

- ये केंद्र पैमाने का समर्थन करने, लेन-देन लागत को कम करने तथा दीर्घकालिक विनिर्माण गतिविधियों को स्थिरता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित हैं।
- **इन केंद्रों की आवश्यकता:** वे देश जो स्थिर उत्पादन वातावरण प्रदान करने में सक्षम होते हैं—जो अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, कौशल तथा संस्थागत समन्वय से समर्थित होते हैं—वे विनिर्माण गतिविधियों को बनाए रखने और दीर्घकालिक उत्पादन को आकर्षित करने में अधिक सक्षम होते हैं।

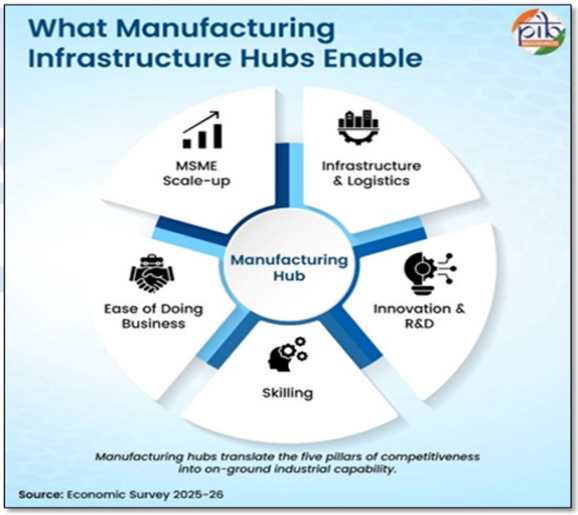

भारत में विनिर्माण केंद्रों के प्रकार

- **बड़े एकीकृत विनिर्माण केंद्र:** ये सुव्यवस्थित (master-planned) औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिनमें प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना उपलब्ध होती है और जहाँ प्रमुख निर्माताओं तथा उनके आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को एक ही स्थान पर स्थापित किया जाता है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र:** ये केंद्र उत्पादन इकाइयों को आपूर्तिकर्ता नेटवर्क, परीक्षण सुविधाओं, नियामकीय ढाँचे तथा कौशल विकास अवसंरचना के साथ एकीकृत करते हैं, जिससे संपूर्ण मूल्य शृंखला को समर्थन मिलता है।

- **बल्क ड्रग पार्क योजना:** गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में तीन बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बल्क दवाओं के उत्पादन की लागत कम हो सके।
- सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को **सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण योजना(ECMS) 2.0** के अंतर्गत समर्थन दिया जा रहा है, जिसमें निर्माण, संयोजन, पैकेजिंग तथा परीक्षण शामिल हैं।

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विनिर्माण क्लस्टर:** माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज – क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP) के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs) तथा तकनीकी उन्नयन को समर्थन दिया जाता है।
  - **भारत औद्योगिक भूमि बैंक (IILB):** यह देशभर में औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों, पार्कों तथा क्षेत्रों का मानचित्रण करता है।
  - राज्य औद्योगिक विकास निगम MSMEs के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं प्रबंधन करते हैं।
- **कॉरिडोर-लिंक्ड औद्योगिक नोड्स:** ये कॉरिडोर मूलभूत अवसंरचना, माल परिवहन संपर्कता तथा बहु-मोडल लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर औद्योगिक एकाग्रता संभव होती है।
  - दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC), चेन्नई–बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर (CBIC), अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (AKIC) तथा विशाखापट्टनम–चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर (VCIC) जैसे औद्योगिक कॉरिडोर विनिर्माण केंद्रों को समर्थन देने के लिए विकसित किए जा रहे हैं।

प्रमुख सरकारी नीतियाँ

- **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP):** भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना हेतु अभिकल्पित, जिससे देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
  - सरकार द्वारा 20 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो 7 औद्योगिक कॉरिडोर तथा 13 राज्यों में विस्तृत हैं।
- **PM MITRA (प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान):** यह वस्त्र मूल्य शृंखला के लिए विशेष रूप से तैयार बड़े एकीकृत विनिर्माण केंद्र हैं, जिनमें प्रसंस्करण, निर्माण, लॉजिस्टिक्स तथा सामान्य सुविधाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध होती हैं।
  - ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में घोषित किए गए हैं।
- **PM Gati Shakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** यह एक समेकित मंच है जो 44 केंद्रीय मंत्रालयों तथा 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और डेटा को एकीकृत करता है।
  - यह पहल परिवहन, लॉजिस्टिक्स तथा उपयोगिता अवसंरचना की समन्वित योजना को सक्षम बनाती है, जिसमें बहु-मोडल संपर्कता, अंतिम चरण (last-mile) कनेक्टिविटी तथा समयबद्ध कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जाता है।
- **बायोफार्मा शक्ति:** पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ के व्यय के साथ जैव-फार्मा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु, जिसमें तीन नए NIPER संस्थान तथा 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल परीक्षण स्थलों का राष्ट्रीय नेटवर्क शामिल है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन(NMM):** इसे केंद्रीय बजट 2025–26 में एक दीर्घकालिक रणनीतिक रूपरेखा के रूप में घोषित किया गया, जो नीति, कार्यान्वयन तथा शासन को एकीकृत दृष्टिकोण में समाहित करता है।
- **सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure):** सरकार का पूंजीगत व्यय FY2014–15 में ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर 2026–27 के बजट अनुमान में ₹12.2 लाख करोड़ तक पहुँच गया है।

Source: PIB

प्राकृतिक एवं जैविक कृषि

संदर्भ

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्किम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि सिक्किम का **जैविक एवं प्राकृतिक कृषि मॉडल** पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। यह आयोजन सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया।

सिक्किम राज्य स्थापना दिवस

- सिक्किम 16 मई 1975 को जनमत संग्रह के बाद भारत का 22वाँ राज्य बना।
- यह चोग्याल के अधीन राजतंत्र से पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तित हुआ।
- **अनुच्छेद 371F**: सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान।
- सिक्किम की सीमाएँ चीन (तिब्बत), भूटान और नेपाल से लगती हैं।
- यह भारत-चीन संबंधों, सीमा अवसंरचना और सुरक्षा नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के बारे में

- **जैविक कृषि** : यह ऐसी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीवों (GMOs) का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें फसल चक्र, जैव-उर्वरक, कम्पोस्ट और हरी खाद पर निर्भरता होती है।
  - इसे **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)** के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
- **प्राकृतिक कृषि** : इसे 'रसायन-मुक्त, इनपुट-मुक्त कृषि' के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। यह देशी गाय-आधारित इनपुट और न्यूनतम बाहरी संसाधनों पर निर्भर करती है।
  - उदाहरण: **शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF)**।
- जैविक कृषि बाहरी जैविक इनपुट की अनुमति देती है, जबकि प्राकृतिक कृषि खेत-आधारित संसाधनों पर बल देती है।

केस स्टडी: सिक्किम

- सिक्किम 2016 में भारत का पहला पूर्ण **जैविक राज्य** बना।
- यह नीति-प्रेरित परिवर्तन का उदाहरण है, जिसने जैविक कृषि को **ईको-पर्यटन** से जोड़ा।
- सिक्किम भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% से भी कम हिस्सा रखते हुए देश की 25% से अधिक पुष्पीय विविधता का घर है।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)**: वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एपीडा द्वारा लागू। यह प्रमाणन मानक और प्रमाणन निकायों की मान्यता प्रदान करता है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)**: राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत शुरू। इसमें क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण (20 हेक्टेयर क्लस्टर) और सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणन शामिल है।
- **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)**: प्राकृतिक कृषि पर केंद्रित, कम लागत वाली खेती और रासायनिक इनपुट पर निर्भरता घटाने को प्रोत्साहित करती है।
- **उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन विकास**: मूल्य श्रृंखला विकास और निर्यात-उन्मुख जैविक उत्पादन पर केंद्रित।
- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)**: यह एक छत्र योजना है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक इनपुट प्रोत्साहन और जलवायु-संवेदनशील कृषि को एकीकृत किया गया है।

भारत के लिए महत्व

- **पर्यावरणीय लाभ**: मृदा उर्वरता और सूक्ष्मजीव गतिविधि में सुधार, भूजल प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा।
- **आर्थिक लाभ**: कम लागत (विशेषकर प्राकृतिक कृषि में), घरेलू और निर्यात बाज़ार में प्रीमियम मूल्य, किसानों की आय विविधीकरण में वृद्धि।
- **स्वास्थ्य एवं पोषण**: रसायन अवशेष-मुक्त खाद्य उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और जीवनशैली रोगों की चिंताओं का समाधान।

संबंधित चुनौतियाँ

- **उत्पादकता संबंधी चिंताएँ**: संक्रमण अवधि में प्रारंभिक उपज में गिरावट; दीर्घकालिक उपज पर सीमित वैज्ञानिक सहमति।
- **बाज़ार एवं प्रमाणन मुद्दे**: एनपीओपी के अंतर्गत उच्च प्रमाणन लागत और घरेलू बाज़ार से कमजोर जुड़ाव।
- **जागरूकता एवं क्षमता**: किसान प्रशिक्षण की कमी और सीमित विस्तार सेवाएँ।
- **आपूर्ति श्रृंखला बाधाएँ**: भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात अवसंरचना की कमी।

आगे की राह

- अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित मान्यता को सुदृढ़ करना।
- बाज़ार पहुँच और ब्रांडिंग में सुधार (जैसे 'इंडिया ऑर्गेनिक')।
- डिजिटल ट्रेसबिलिटी प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- जलवायु नीतियों (NAPCC) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs 2, 12, 13, 15) के साथ एकीकरण।
- मूल्य श्रृंखलाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

Source: TH

इंडोनेशिया की नई जैव-ईंधन पहल

समाचार में

- इंडोनेशिया महंगे आयातित तेल पर निर्भरता कम करने और वैश्विक मूल्य व भू-राजनीतिक दबावों के बीच **बी50 बायोडीज़ल (50% पाम ऑयल, 50% डीज़ल)** प्रस्तुत कर रहा है।

जैव-ईंधन

- ये नवीकरणीय ईंधन हैं, जो पौधों और पशु अपशिष्ट जैसे मक्का, गन्ना एवं प्रयुक्त खाद्य तेल से बनाए जाते हैं।
- इनके दो मुख्य प्रकार हैं:
  - **एथेनॉल**: फसलों के किण्वन से निर्मित, जिसे पेट्रोल में मिलाकर उत्सर्जन कम किया जाता है।
  - **बायोडीज़ल**: तेलों या पशु वसा से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित।

लाभ

- **पर्यावरणीय**: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, सीमित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना, और कृषि व जैविक अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन।
- **ऊर्जा सुरक्षा**: आयात पर निर्भरता कम करना और बढ़ती मांग के बीच ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना।
- **आर्थिक लाभ**: तेल आयात बिल कम करना, गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि, और अधिशेष कृषि उत्पादन (जैसे अतिरिक्त अनाज व चीनी) का प्रबंधन।

इंडोनेशिया की बी50 पहल

- इंडोनेशिया बी50 ईंधन पेश कर रहा है ताकि आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटे और घरेलू पाम ऑयल की मांग को समर्थन मिले।
- घरेलू स्तर पर अधिक पाम ऑयल उपयोग से निर्यात घटेगा, जिससे वैश्विक आपूर्ति सख्त होगी और पाम ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी।
- यह नीति विमानन क्षेत्र तक विस्तारित है, जिसमें 2027 से मिश्रित सतत विमानन ईंधन की योजना है।
- उद्देश्य है तेल आयात कम करना, पाम ऑयल बाज़ार को स्थिर करना और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना।

भारत पर प्रभाव

- भारत आयातित पाम ऑयल पर अत्यधिक निर्भर है, जो मुख्यतः इंडोनेशिया से आता है। अतः कीमतों में वृद्धि या आपूर्ति कटौती से खाद्य तेल महंगे होंगे तथा खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी।
- इससे खाद्य प्रसंस्करण, साबुन और संबंधित उद्योगों की लागत भी बढ़ेगी।
- विकल्प जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों का तेल उपलब्ध हैं, परंतु वे महंगे, कम उपलब्ध एवं पाम ऑयल का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकते।
- उपभोक्ताओं को अधिक व्यय और उद्योगों को अधिक इनपुट लागत का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि दीर्घकाल में भारतीय किसानों को लाभ हो सकता है यदि ऊँची कीमतें घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दें।

क्या आप जानते हैं?

- भारत ने जैव-ईंधन को बढ़ावा देने हेतु कई नीतियाँ और पहलें शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य तेल आयात कम करना, किसानों को समर्थन देना और पर्यावरणीय स्थिरता सुधारना है।
  - **राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति (2018)**: एथेनॉल, बायोडीज़ल और बायो-सीएनजी को प्रोत्साहित करती है।
    - इसमें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, कृषि अपशिष्ट से द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल, फीडस्टॉक पर अनुसंधान एवं विकास, और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं।

- **वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (GBA)**: जी20 शिखर सम्मेलन 2023 में शुरू किया गया। यह सतत जैव-ईंधन को बढ़ावा देने, वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने और तकनीकी सहयोग को समर्थन देने हेतु देशों और संगठनों को एक साथ लाता है।
- **एथेनॉल पर जीएसटी कटौती**: पेट्रोल में मिश्रण हेतु प्रयुक्त एथेनॉल पर कर 18% से घटाकर 5% किया गया।
- **प्रधानमंत्री जी-वन योजना**: कृषि और वन अपशिष्ट से द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल उत्पादन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे खाद्य फसलों पर निर्भरता कम होती है।

Source :IE

संक्षिप्त समाचार

UAE का OPEC और OPEC+ से बाहर

संदर्भ

- संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वह **OPEC और OPEC+** से 1 मई 2026 से प्रभावी रूप से बाहर हो जाएगा।

कारण

- यूएई ने युद्ध के दौरान ईरान के अनेक हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में अरब देशों की अपर्याप्त भूमिका को कारण बताते हुए समूह से बाहर निकलने का निर्णय लिया।

OPEC के बारे में

- **स्थापना**: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान स्थापित हुआ।
- **मूल संस्थापक सदस्य**: सऊदी अरब, ईरान, वेनेज़ुएला, कुवैत और इराक।
- **उद्देश्य**: पेट्रोलियम की आपूर्ति और मांग नीतियों का समन्वय करना ताकि बाज़ार मूल्य स्थिर और न्यायसंगत रहें तथा तेल उत्पादक देशों को निरंतर आय सुनिश्चित हो।
- **वर्तमान सदस्यता (11 देश)**: अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला।

OPEC+ के बारे में

- **संरचना**: OPEC+ में कुल 21 सदस्य हैं। इसमें OPEC के 11 देशों के साथ 10 अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं — रूस, कज़ाख़स्तान, अज़रबैजान, ब्रुनेई, बहरीन, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, सूडान और मलेशिया।
- **स्थापना**: 2016 में अल्जीयर्स समझौते (सितंबर 2016) और वियना समझौते (नवंबर 2016) के बाद गठित।
- **उद्देश्य**: अमेरिकी शेल ऑयल उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि के कारण तेल कीमतों में भारी गिरावट के जवाब में बाज़ार को स्थिर करना।

स्रोत: द हिंदू (TH)

सैक्रिफ़ाइस रेशियो (Sacrifice Ratio)

समाचार में

- तेल की बढ़ती कीमतें नई मुद्रास्फीति जोखिम उत्पन्न कर रही हैं, जबकि हालिया वैश्विक दर वृद्धि ने कोविड-कालीन मुद्रास्फीति को कम किया।
  - अमेरिका ने मुद्रास्फीति को कम किया और आर्थिक लागत न्यूनतम रही।
  - ब्रिटेन मंदी में चला गया।
  - भारत की वृद्धि धीमी हुई लेकिन मंदी से बचा।

सैक्रिफ़ाइस रेशियो

- यह एक आर्थिक अनुपात है जो मुद्रास्फीति में वृद्धि और कमी का देश के कुल उत्पादन एवं आउटपुट पर प्रभाव मापता है।
- इसे उत्पादन में कमी को मुद्रास्फीति में प्रतिशत गिरावट से विभाजित करके निकाला जाता है।
- यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति में 1% कमी के लिए कितना उत्पादन हानि होती है।

महत्व

- यह अनुपात मुद्रास्फीति कम करने की लागत को खोए हुए उत्पादन के रूप में दर्शाता है।

- नीति-निर्माताओं को अनुमान लगाने में सहायता करता है कि ब्याज दरें बढ़ाने जैसे उपकरणों से मुद्रास्फीति घटाने पर उत्पादन कितना गिर सकता है।

स्रोत: द हिंदू (TH)

सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)

संदर्भ

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 2024–25 को आधार वर्ष मानकर नया **सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)** प्रस्तावित किया है।

आवश्यकता

- सेवाक्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 50% से अधिक योगदान देता है।
- परंतु अल्पकालिक प्रवृत्तियों की निगरानी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसा कोई सूचकांक उपलब्ध नहीं है।
- ISP इस कमी को पूरा करेगा और IIP का पूरक बनेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों की व्यापक समझ संभव होगी।
- वर्तमान में ऐसे सूचकांक की अनुपस्थिति सेवाक्षेत्र के प्रदर्शन का वास्तविक समय आकलन सीमित करती है।

डिफ्लेटर्स का उपयोग

- सूचकांक में बैंकिंग, बीमा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए **सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPIs)** का उपयोग किया जाएगा।
- जहाँ PPIs उपलब्ध नहीं होंगे, वहाँ क्षेत्र-विशिष्ट **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPIs)** का उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के बारे में

- **स्थिति**: सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत भारत की केंद्रीय एजेंसी।
- **गठन**: 2019 में CSO और NSSO के विलय से बना।
- **प्रमुख**: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् द्वारा संचालित।
- **कार्य:**
  - बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करना।
  - राष्ट्रीय आय (GDP/GNP) संकलित करना।
  - सांख्यिकीय मानकों का निर्धारण और राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन देना।
  - डिजिटल उपकरणों से डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करना।
- **प्रमुख प्रकाशन:**
  - **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)**: GDP और पूंजी निर्माण।
  - **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)**: रोजगार प्रवृत्तियाँ।
  - **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और ASI**: औद्योगिक प्रदर्शन।
  - **उपभोक्ता व्यय एवं सामाजिक उपभोग**: गरीबी और सेवा उपयोग।
  - **सांख्यिकीय वर्षपुस्तक एवं ऊर्जा सांख्य**की: व्यापक क्षेत्रीय और ऊर्जा डेटा।

स्रोत: PIB

भूभक्षण (Geophagy)

समाचार में

- जिब्राल्टर में पाए जाने वाले बारबरी मकाक (Barbary macaques) अन्य आबादियों की तुलना में अधिक बार मृदा खाते (भूभक्षण करते) पाए गए हैं।

भूभक्षण

- यह मृदा, चिकनी मिट्टी (clay) या पृथ्वीजन्य पदार्थ जैसे चाक या कैओलिन खाने का व्यापक व्यवहार है।
- यह कई पशु समूहों में देखा गया है और कुछ मानव समुदायों में भी, विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में।
- यह विश्व की अनेक संस्कृतियों में पाया जाता है, परंतु अफ्रीका के कुछ हिस्सों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण समुदायों में विशेष रूप से सामान्य है।
- इसे स्वास्थ्य या पोषण संबंधी आवश्यकताओं से जोड़ा जाता है, जैसे मतली कम करना, परंतु इसके सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं।

बारबरी मकाक

- यह एक अद्वितीय प्राइमेट है, जो सहारा के उत्तर में अफ्रीका में पाया जाता है और यूरोप में एकमात्र जंगली बंदर है।
- कभी उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में व्यापक रूप से फैला हुआ था, परंतु अब मुख्यतः अल्जीरिया एवं मोरक्को के छोटे वन क्षेत्रों में जीवित है, जबकि जिब्राल्टर में इसकी एक परिचित आबादी है।
- यह प्रजाति CITES के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है और IUCN रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त वर्गीकृत किया गया है।

बारबरी मकाक और भूभक्षण का संबंध

- जिब्राल्टर मकाक प्रायः मृदा खाते हैं, विशेषकर पर्यटन-प्रधान समय में जब वे मनुष्यों द्वारा दिए गए कम खनिजयुक्त खाद्य पदार्थ अधिक खाते हैं।
  - यह भूभक्षण संभवतः पाचन समस्याओं को कम करने या उनके आहार को विषमुक्त करने में मदद करता है।
- यह व्यवहार सामान्य है, सामाजिक रूप से साझा किया जाता है, प्रजनन से संबंधित नहीं है और मानव प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया प्रतीत होता है।

स्रोत: (DTE)

भारत 2025 में पाँचवाँ सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बना: SIPRI

संदर्भ

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, भारत 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा व्यय के साथ विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा सैन्य खर्चकर्ता बन गया।

प्रमुख बिंदु (भारत)

- रक्षा व्यय वर्ष-दर-वर्ष 8.9% बढ़ा, जिसका कारण भारत–पाकिस्तान तनाव (मई 2025) के बीच परिचालन और खरीद आवश्यकताएँ थीं।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा, जो वैश्विक आयात का 8.2% है। हालाँकि, 2016–20 और 2021–25 के बीच हथियार आयात में 4% की कमी आई।
- **रणनीतिक बदलाव:** भारत ने धीरे-धीरे अपने हथियार आयात को रूस से हटाकर फ्रांस, इज़राइल और अमेरिका जैसे पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं की ओर विविधीकृत किया।
  - रूस की हिस्सेदारी 2011–15 में 70% से घटकर 2016–20 में 51% और 2021–25 में 40% रह गई।

वैश्विक हथियार प्रवृत्तियाँ

- वैश्विक सैन्य व्यय रिकॉर्ड 2,887 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो लगातार 11वें वर्ष वृद्धि दर्शाता है और वैश्विक GDP का 2.5% है।
- यूक्रेन 2021–25 में सबसे बड़ा हथियार प्राप्तकर्ता बना, जिसकी हिस्सेदारी 9.7% रही।
- पाकिस्तान, जो वैश्विक स्तर पर 31वें स्थान पर है, ने अपना रक्षा व्यय 11% बढ़ाकर 11.9 अरब डॉलर कर लिया। यह वृद्धि चीन से युद्धोत्तर खरीद के कारण हुई।

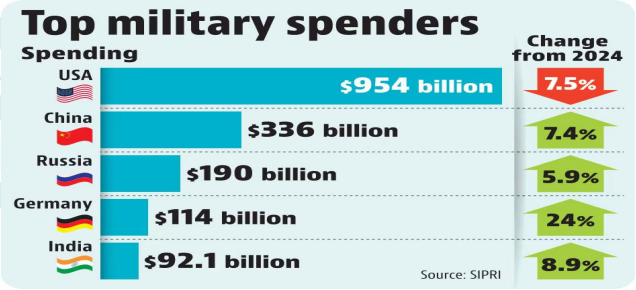

SIPRI के बारे में

- SIPRI की स्थापना 1966 में स्वीडिश संसद द्वारा एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई।
- इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करना है, जिसमें हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और संघर्ष समाधान शामिल हैं।
- इसे सरकारी अनुदान, निजी दान और परियोजना-आधारित वित्तपोषण से समर्थन मिलता है।
- इसकी प्रमुख प्रकाशन SIPRI ईयरबुक है, जो वैश्विक सैन्य व्यय, हथियार हस्तांतरण और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।
- SIPRI का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है।

स्रोत: (HT)